

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

—:आदेश:—

संख्या-08/स्था० (अभि०)-01 (स्थाना०)-01/2024-

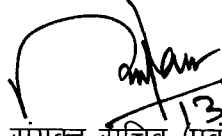
/पटना-15, दिनांक-

जल संसाधन विभागान्तर्गत पुनपुन, दरधा एवं अन्य नदियों के जलस्तर में कमी के फलस्वरूप तथा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ परिक्षेत्राधीन सिंचाई कार्यों की महत्ता के दृष्टिपथ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के साथ विभागीय आदेश संख्या-5121 दिनांक 04.09.2026 के माध्यम से सम्बद्ध दो प्रमंडलों यथा सिंचाई प्रमण्डल, घोसी एवं सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ की सम्बद्धता को अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग, पटना के परामर्श के आलोक में समाप्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(कुमुद रंजन)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक-08/स्था० (अभि०)-01 (स्थाना०)-01/2024- 5345 /पटना-15, दिनांक- 13.09.2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक-3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना[Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)]पर प्रकाशित करने हेतु/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु)/संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।